ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 238-239**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

भारत में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन एवं कल्याण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 कृपानाथ
समाजशास्त्र

Received-19.06.2025, Revised-25.06.2025, Accepted-30.06.2025 **E-mail : kripanath666@gmail.com**

सारांशः ***भारतीय समाज में पिछड़ा वर्ग समाज में कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों में केवल हिन्दू पिछड़ी जातियाँ ही सम्मिलित होगी, यह नहीं बताया गया है। संविधान में केवल जाति के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गयी है। ये वे हिन्दू जातियाँ हैं जो जातिगत सोपान में श्रेणी और परम्परागत व्यवसायों के संदर्भो में उच्च जातियों से पिछड़ी किन्तु अस्पृश्य जाति से उच्च हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि पिछड़ी जातियाँ शूद्र वर्ण की थी। अतएव पिछड़ी जाति एवं पिछड़ा वर्ग एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं, संविधान के अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) किसी भी हिन्दू और गैर हिन्दू समूहों के लिए उपयोग किया गया है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं हैं। तथापि उसकी सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति कमजोर है। उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है।***

कुंजीभूत शब्द– पिछड़ा वर्ग आन्दोलन, भारतीय समाज, जाति, आरक्षण, सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति, अस्मिता, पद प्रतिष्ठा

आन्द्रे बेतेई के अनुसार पिछड़े वर्ग उच्च जातियों से शिक्षा व्यवसायों और सरकारी नौकरियों में पीछे रहे हैं। पिछले चार दशक से यह समस्या उठायी जाती रही है कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पिछड़े वर्गो को विशेष प्रावधान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह सुलभ कराया जाय। पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। पिछड़े वर्ग शब्द का संदर्भ सबसे पहले 1917–18 में प्रचलित हुआ।

पिछड़ा वर्ग आन्दोलन– भारत के पिछड़े वर्गो के आन्दोलन का उद्भव उनकी अस्मिता, पद प्रतिष्ठा, सम्मान व नयी पहचान की वैचारिकी से जुड़ा हुआ है, पिछड़ी जातियाँ जो समाज के दबे लोग हैं, विभिन्न नियोग्यताओं से पीड़ित और प्रताड़ित है, लोग स्वयं की प्रतिष्ठा, सम्मान तथा नयी प्रस्थिति को प्राप्त करने के लिए और समाज में नयी पहचान बनाये रखने के लिए ये संघर्ष एवं आन्दोलन का सहारा लेते है। पिछड़े वर्गों के लोगों में सामाजिक आन्दोलन तथा गतिशीलता विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा तुलनात्मक अभाव बोध के कारण उत्पन्न हुआ। इसका मुख्य कारण है कि एक लम्बे समय तक जब कोई जाति अथवा वर्ग सामाजिक विभेदीकरण का शिकार रहता है तो वह जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण, उनमें कुंठाओं का विकास होता है, इन्हीं कुंठाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों का सूत्रपात होता है, पिछड़ा वर्ग आन्दोलन भी इन आन्दोलनों की महत्वपूर्ण कड़ी है। आज पिछड़े वर्गों के लोगों में सामाजिक आन्दोलन तथा गतिशीलता विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रस्थितियों तथा तुलनात्मक अभावबोध के कारण उत्पन्न हुआ।

डॉ0 राव तथा चन्द्रशेखर भट्ट ने दक्षिण भारत की पिछड़ी जातियों में हुए आन्दोलनों का विश्लेषण समाज सुधार आन्दोलन की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में किया है, यद्यपि दोनों विचारकों के दृष्टिकोण में थोड़ी भिन्नता है फिर भी दोनों का वण्य विषय एवं अभिप्राय काफी मिलते जुलते हैं, राव ने दक्षिण के पिछड़े वर्गो के आन्दोलन एवं निग्रों लोगों द्वारा चलाये जाने वाले अश्वेत आन्दोलनों के बीच समानता सूत्र खोजने का प्रयास किया है।

राव की धारणा है कि इस प्रकार के आन्दोलनों में स्वरूप एवं सभ्यता के तर्क पर आधारित विश्लेषण किये जाने चाहिए। उनकी दृष्टि में संयुक्त राज्य एवं भारत की सामाजिक, आर्थिक स्थितियां काफी असमान हैं फिर भी दोनों ही देशों में हुए आन्दोलनों में सादृश्य स्थापित होते हैं। सबका कहना है कि अश्वेतों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक स्थिति में एक बहुत बड़ी समानता का बिन्दू दोनों में तुलनात्मक अभावबोध पाया जाना है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इस प्रकार अमेरिका में अश्वेतों के सामाजिक, राजनीतिक अधिकार अमान्य कर दिया गया था, वे अश्वेतों की देख–रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे गन्दी बस्तियों में रहते थे तथा अभी संस्कृति भाषा एवं धर्म के प्रसार से वंचित थे।

पिछड़े वर्गों के लोगों का सामाजिक आन्दोलन विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है, इन परिस्थितियों ने पिछड़े वर्गों के लोगों को सामूहिक रूप से गतिशील करने के लिए बाध्य किया। पिछड़े वर्गो के लोगों के तुलनात्मक अभावबोध उन आवश्यक दशाओं को उत्पन्न करना है, जिसके कारण उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारतीय समाज में जाति प्रथा से उत्पन्न विषमताओं के विरूद्ध और द्विज जातियों के सदस्यों के द्वारा सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए विगत कई दशकों से विभिन्न स्तर पर किये जा रहे क्रमबद्ध प्रयासों को ही पिछड़ी जातियों का आन्दोलन कहा जाता है। शिक्षा और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण इस आन्दोलनों का मुख्य भाग रहा है, इसके साथ ही जाति प्रथा के विरूद्ध और द्विज जातियों की आत्म सम्मान एवं अधिकार पाने की राजनीति इस आन्दोलन की मुख्य प्रक्रिया कही जा सकती है।

कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तर प्रदेश इन चारों में से दक्षिण भारत में स्थित कनार्टक, तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन बड़े उग्र रूप में चला और अपेक्षित सफलता भी प्राप्त किया। बिहार और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आन्दोलन बिखरा और क्षीण हालात में चला परिणाम भी 15 से 20 प्रतिशत आरक्षण तक ही सीमित रह गया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन की पूर्ण सफलता में पिछड़ी जातियों का अपूर्ण संगठन ही मुख्य रूप से बाधक रहा है।

सवर्ण जातियों के साथ समानता के इस आन्दोलन ने ऊँचे पिछड़े वर्गों के छोटे और कमजोर कारीगर जातियों एवं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नेतृत्व की योग्यता को विशेष रूप से जन्म दिया। केवल कुछ ही पिछड़ी जातियाँ संस्कृतिकरण के रूप में सामाजिक गतिशीलता की आशा कर सकती थी, बाद वाली प्रक्रिया में कुछ पूर्ववर्ती को पूरा करना आवश्यक था।

सत्यशोधक समाज आन्दोलन– एक समाज सुधारक ज्योतिराव फूले (ज्योतिबा फूले) जो माली जाति के थे, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस आन्दोलन में भाग लेने वाली मध्यम श्रेणी की जातियाँ जैसे–तेली, कुनबी, सती और माली थीं। प्रारम्भ में यह कृषक आन्दोलन था, किन्तु जब इसने ब्राह्मण विरोधी रूप धारण कर लिया तो उच्च जातियों ने इससे अपना

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

समर्थन वापस ले लिया, मूलतः यह पिछड़े वर्गो का आन्दोलन बनकर रह गया। इसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। अतः यह एक ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन था।

फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक दो पुस्तकें लिखी जो लोगों में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में सफल रहीं। ये पुस्तकें पिछड़े वर्गो के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गयी। फूले तथा उनके समाज द्वारा स्त्री शिक्षा और स्वतन्त्रता तथा उनकी आर्थिक प्रगति के लिए कई कार्य किये गये, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल विधवाओं के लिए अनाथालय एवं हरिजनों के लिए स्कूल खोलें। स्त्री मुक्ति एवं शिक्षा समाज सेवा, महिला सुधार आदि क्षेत्रों में इस समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किये।

श्री नारायण धर्म परिपालन आन्दोलन– भारत में ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन समय–समय पर होते रहे हैं, जैन और बौद्ध धर्म का उदय भी इसी के विरूद्ध था, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज आन्दोलन की भांति ही केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन चला जो ब्राह्मण विरोधी था, यह आन्दोलन एक क्षेत्रीय आन्दोलन था। जिसका सम्बन्ध बड़ी बनाने वाली केरल की इजावाह जातियों से है। इजावाह लोगों की संख्या केरल में लगभग 20 प्रतिशत है। फिर भी उन्होंने भारत के अन्य लोगों की भांति अछूत होने के कारण सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया और उनका शोषण होता रहा। चूंकि ब्राह्मण शिक्षित और उच्च वर्ग के थे, अतः आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ भी उन्होंने उठाया और गैर–ब्राह्मण विशेष रूप से निम्न और अछूत जातियाँ इससे वंचित रहीं। केरल के श्री नारायण गुरू स्वामी नामक सन्त ने श्री नारायण धर्म परिपालन नामक आन्दोलन चलाया।

पिछड़े वर्गों का कल्याण– वर्तमान में लोक प्रिय सरकार समाज में गरीबों और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयत्नशील है। उसके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सम्बन्धित अधिकारी बिना विकल्प किये लगन पूर्वक उनके हक और उनके लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचा दे। समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कमजोर वर्गों के मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था शुरू की गयी है। लखनऊ 26 नवम्बर 1995 उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अश्वस्त किया है कि वह पिछड़े वर्गों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग और सचेत है, तथा प्रदेश के मुख्य सचिव श्री माता प्रसाद ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव, पी0एस0 कृष्णन और सदस्य डॉ0 दिनेश सिंह यादव ने भेंटकर विचार–विमर्श किया।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत सरकार की सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, अनुच्छेद 16(4) में सरकार को उन पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं और पदों में आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। जिन्हें सरकार की राय से सेवाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

पिछड़ी जातियों के उत्थान का अभिप्राय उनका सर्वांगीण विकास करना है, इसके लिए हमारे संविधान में निहित मूलभूत सिद्धान्तों में भी इस बात की व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक देशवासी को समानता का अधिकार प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार की इस जातियों के कल्याण हेतु शैक्षणिक सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की विभिन्न योजनाएँ संचालित कर इस (पिछड़ी जातियों) व्यक्तियों की सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग की स्थापना की है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, कुछ प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं :

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति– यह योजना 9वीं और 10वीं कक्षा के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी जाती है।
- पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति– यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी जाती है।
- अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
- अम्बेडकर छात्रावास योजना।
- कौशल विकास योजनाएँ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- आयुष्मान भारत योजना।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।
- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त योजनाओं का कार्य मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं का संचालन, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकलापों का संचालन, पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम का संचालन, पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकलापों का संचालन, केन्द्र द्वारा इस वर्ग के लोगों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन, पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में नवीन योजनाएँ एवं आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन तथा इस दिशा में शासन के अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करना है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. द्विवेदी, रमेश नन्दन (1987) , भारत में सामाजिक आन्दोलन और परिवर्तन, विश्वविद्यालय, प्रकाशन, वाराणसी पृ0–88
2. देवी, बिन्दू (2000), पिछड़ी जातियों में सामाजिक गतिशीलता एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, बी0एच0यू0 पृ0–39–40
3. गुप्ता, एम0एल0 एवं शर्मा डी0डी0 (2005) पृ0 683–84 समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा
4. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0 (2006), भारतीय समाज, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0–173–74
5. भट्ट, चन्द्रशेखर, रिफार्म मूवमेंट्स अमंग दी ब्रदर्स ऑफ कर्नाटक पूर्वोक्त पृ0–170
6. अग्रवाल, शशि (1970–71), आधुनिक कार्यरत हिन्दू विवाहित महिलाओं में भूमिका द्वन्द, उदृत भारतीय समाज विज्ञान समीक्षा, अंक शरद
7. सिंह, एस0एन0 (1996),रिजर्वेशन पालसी फार बैकवर्ड क्लासेज, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।

*****